

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

(24)

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी  
विश्वविद्यालय के बान से ही किया जावे न  
कि किसी अन्य पदाधिकारी के बान से।  
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्ण में पत्र  
व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक  
अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।



ग्राम : यूलीवर्टी  
दूरभाष : (0751) 2341896  
(0751) 2442829  
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर

क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2013/ 297

दिनांक: १०/०५/१३

// सूचना // ९४२५३३४२२८

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध के एस.कॉलेज मुख्यमान्त्रिक ( ) को सत्र 2013-14 के लिये प्रस्तावित संचालित बी.ए. तृतीय वर्ष -(आ.पा., इतिहास, यानीतिशास्त्र, हिन्दी), अति.विषय- (समाजशास्त्र), बी.एस-सी तृतीय वर्ष -(आ.पा., भौतिकी, गणित, रसायन), अति.विषय- (गणितीय, वनस्पति), बी.कॉर्म तृतीय वर्ष, बी.एस-सी द्वितीय वर्ष अति.विषय - (कम्प्यूटर साइंस), बी.कॉर्म द्वितीय वर्ष अति.विषय - (कम्प्यूटर एप्लीकेशन) पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

1. प्रो. आर.ए. शर्मा, आचार्य, पुरातत्व अ.शा., जी.वि.वि., ग्वा. (संयोजक) (9425110503)
2. प्रो. के.एस. घुरुर, आचार्य, गणित्य एवं प्रबंधन अ.शा., जी.वि.वि., ग्वा.
3. प्रो. आर.के. तिवारी, आचार्य, भौतिकी अ.शा., जी.वि.वि., ग्वा.
4. डॉ. आर.जी. गर्ग, उपाचार्य, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान अ.शा., जी.वि.वि., ग्वा.

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिनियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आईनेस तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें।

स्थायी समिति की बैठक दिनांक 26 सितम्बर 2012 के पद क्रमांक 60 (अ-अ-2) पर लिये गये निर्णयानुसार निरीक्षण समिति द्वारा 30 दिन में महाविद्यालय का निरीक्षण कर 15 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे। जिससे कि सम्पूर्ण कार्यालयी (महाविद्यालय निरीक्षण की) 45 दिवस में पूर्ण हो सकेंगी एवं महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सम्बद्धता में विलम्ब नहीं होगा एवं यथा समय सम्बद्धता संबंधी कार्यालयी पूर्ण हो सकेंगी तथा शासक के लिए कार्यालय का यात्रा सुनिश्चित किया जा सकेंगा।

गठन के 45 दिवस में Report प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाएगा कि महाविद्यालय का निरीक्षण नहीं हुआ है। नियमानुसार अर्थदण्ड जमा कराये जाने समिति गवित की जावेगी। जिसे 15 दिवस में निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना अविवार्य होगा। परिनियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए जिन छात्रों को प्रोत्साहन देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शास्त्र में कार्यरूप अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को ई.ए. / डी.ए. / मानदेय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यालयी हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करावें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)

24